File No. IWT-II-12011/5/2025-IWT-II
Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways

Transport Bhawan,
1, Parliament Street,
New Delhi-110001
Dated 15th October, 2025

To

The General Manager
Govt. of India Press
Ring Road, Mayapuri
New Delhi - 110064

Subject: - Notification of Inland Vessels (Special Category Vessels: Autonomous and Semi Autonomous) Rules, 2025 to be framed under the under the Inland Vessels Act, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) – regarding.

Sir,

I am directed to enclose herewith a soft copy in MS Word format and digitally signed copy of PDF format duly signed both in Hindi and English version regarding Inland Vessels (Special Category Vessels: Autonomous and Semi Autonomous) Rules, 2025 under the Inland Vessels Act, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i). The same has been uploaded on the web portal of the Government of India Press for e-Publishing in the Gazette of India.

2. It is certified that the soft copy in MS Word format and scanned copy in PDF format of the above mentioned Draft notification are the same and are approved by the competent authority.

Yours faithfully,

15/10/2025

(Uttam Kumar Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 011-23357558
Email–uttam.mishra27@gov.in

Encl: As above

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub section (i)]
Government of India
Ministry of Ports, Shipping and Waterways
Notification

New Delhi the 14th October, 2025

G.S.R........(E).— The draft of the Inland Vessels (Special Category Vessels: Autonomous and Semi-Autonomous) Rules, 2025, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 98 and sub-section (1) and (2) of section 42 read with clause (zh) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, is hereby published as required by sub-section (1) of section 106 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT-II), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 545, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dircoord2-psw@gov.in and naveen.deswal@nic.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**. (1) These Rules may be called the Inland Vessels (Special Category Vessels: Autonomous and Semi-Autonomous) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);

(b) "autonomous vessels" means a mechanically propelled inland vessel that operates without onboard crew or significantly reduced manning and is remotely monitored and/or controlled;

(c) "classification society" means a recognized organization within the meaning of clause (zo) of section 3 of the Act, which is a member of International Association of Classification Societies;

(d) "control centre" means a designated shore-based facility responsible for the real-time monitoring and control of autonomous or semi-autonomous vessels;

(e) "fair season" means the period showing fair conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or by such other authority as may be prescribed by Central Government;

(f) "foul season" means the period showing foul conditions of wind and sea as may be specified by the Directorate General of Shipping, India or by such other authority as may be prescribed by Central Government; and

(g) "semi-autonomous vessels" means a mechanically propelled inland vessel that incorporates centralized or advanced automated systems but retains onboard crew for operation and supervision;

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Scope and application**. - (1) The following classes of mechanically propelled inland vessels shall be considered as special category vessels, considering their design, construction, and purpose:

(a) Fully autonomous inland vessels which are remotely monitored and/or controlled;

(b) Semi-autonomous inland vessels with centralized control systems and onboard crew.

(2) The requirements in the Inland Vessels rules framed under the Act shall apply to special category vessels identified pursuant to sub-rule (1).

(3) Standards for design and construction-

(a) The standards for design and construction of these vessels shall be governed by Inland Vessels (Design and construction) Rules, 2024, as amended.

(b) The automation related components or other components of such vessels not covered under sub rule 3(a) shall be designed, and constructed in accordance with the standards specified by:

(i) Bureau of Indian Standards (BIS); or

(ii) a classification society; or

(iii) International Standards Organisation

(c) The owner shall furnish a declaration regarding standards for design and construction followed, in Form No. 1 of these rules to the designated authority or such person or organization, as may be delegated by the State Government under sub-section (4) of section 12 of the Act.

(4) Manning-

(a) The manning requirements for these special category vessels shall be determined based on a risk-based assessment conducted by the designated authority, taking into account:

(i) the level of automation;

(ii) the operating zone;

(iii) the type of operation (cargo, passenger, survey or otherwise);

(iv) the duration of the voyage; and

(v) the availability and adequacy of redundancy systems.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), semi-autonomous vessels shall carry at least one Master, one Engine Driver, and one GP Rating in accordance with the manning scale prescribed under section 4, sub-section (3) of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022, as amended.

Provided that the designated authority may reduce the crew requirement, other than the Master, for such vessels:

(i) based on the zone of operation; and

(ii) if the voyage duration is less than four hours.

(iii) vessel safety and stability
(iv) navigation and communication reliability; and
(v) compliance with the applicable provisions of the Act and rules made thereunder.

(c) Autonomous vessels shall operate without onboard crew subject to remote monitoring and shore based support in accordance with approval by designated authority.

(d) The training and certification requirements for crew operating or supervising special category vessels shall be:
(i) as per the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022, as amended; and
(ii) subject to any additional training, experience, or skill requirements that the competent authority may prescribe from time to time.

(e) In cases where crew are not physically present onboard, it shall be mandatory to maintain continuous communication systems, and real-time monitoring infrastructure between the vessel and the designated control centre.

(5) Survey and Certification-
The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (1), shall be designed, constructed, and maintained under the survey of a classification society, notwithstanding anything contained in rule 4 of the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2024, as amended.

(6) Threshold of Compliance for Special Category Vessels-
(a) All existing semi-autonomous and autonomous inland vessels operating prior to the commencement of these rules shall continue to comply with the requirements that were applicable before the coming into force of these rules;
Provided that where such a vessel undergoes a major conversion, modification, or replacement of its navigation systems, propulsion systems, control architecture, or automated components, the provisions of these rules shall apply to the altered systems or components.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (a), all such existing vessels shall within two years from the date of commencement of these rules, comply with the provisions relating to:
(i) stability information and calculation of freeboard; as specified under rules 13 and 15 of Inland Vessels (Design and construction) Rules, 2024, as amended.
(ii) redundancy, communication, and fail-safe mechanisms.

(c) Every new semi-autonomous or autonomous inland vessel shall be:
(i) designed, constructed, equipped, maintained, and operated in full compliance with the provisions of these rules; and
(ii) assessed for fitness for intended service by the designated authority, taking into account the level of autonomy, zone of operation, and type of service.

(d) No certificate of survey shall be issued under the Act to any new semi-autonomous or autonomous inland vessel unless such vessel is in full compliance with the applicable design, construction, automation, navigation, safety, and control standards specified in these rules.

(7) Harmonization with other special category rules and regulatory frameworks-

a. Where a vessel is designated as a special category vessel under these rules and is also governed by other special category rules framed under the Act, it shall comply with all applicable rules to the extent they are not inconsistent.
b. The Designated Authority or authorities appointed under Section 43 of the Act shall determine the principal classification of the vessel based on dominant functionality, risk profile, and construction; however, the certificate of fitness in Form No. 3 appended to these rules shall have mention of all other special category rules and their extent of application on these vessels.

4. Certification and statutory requirements.- The vessel identified as special category vessel pursuant to sub-rule (1) of rule 3, shall ensure following compliances -

(1) Safety Measures and Load line Requirements: -

(a) The vessel shall be provided with safety gear and equipment in accordance with its area of operation as prescribed in these rules.

(b) The maximum carrying capacity of the vessel shall be determined by such criteria as may be prescribed in these rules, which may include but not limited to:

(i) the specification of a safety load line or load line limits to ensure buoyancy;

(ii) other condition necessary to ensure the safe voyage of such vessel, in addition to those provided elsewhere under the Act.

(c) The maximum carrying capacity of the vessel shall be endorsed in the certificate of fitness.

(2) Appointment of officers and grant of certificate of fitness: -

The State Government shall appoint or authorize such number of officers, as may be necessary for the purpose of implementation and enforcement of the provisions under the Chapter VII of the Act and these rules.

(a) The authorized officer shall be empowered to:

(i) receive and process applications for fitness certification of these vessels;

(ii) conduct inspections and surveys;

(iii) issue, suspend, or cancel certificates of fitness; and

(iv) record and maintain reasons for refusal, suspension, cancellation, or other enforcement actions taken under these rules.

(b) Upon an application made by the owner, operator, or master of any mechanically propelled inland vessel, as per Form No. 2 appended to these Rules, the authorized officer shall issue a certificate of fitness indicating the carrying capacity of the vessel, upon being satisfied that the vessel:

(i) meets the prescribed safety, structural, and stability standards;

(ii) is equipped with the requisite safety equipment;
(iii) bears appropriate load line markings, as applicable; and
(iv) complies with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021 and these rules,

(c) The certificate of fitness in Form No. 3 appended to these rules shall be issued subject to fulfilment of such conditions as may be prescribed in these rules, which may include but not limited to:

(i) possession of a valid survey and insurance certificate;
(ii) payment of applicable fees;
(iii) procedures for renewal
(iv) inspection requirements, including annual or such other periodicity as may be specified by the State Government over and above the Inland Vessels Survey and Certification Rules 2022 as amended; and
(v) operational restrictions.

(d) A model format of the application for certificate of fitness in Form No. 2 appended to these rules and the certificate of fitness in Form No. 3 appended to these rules is annexed for reference and adoption by State Governments for uniformity with these rules.

(e) Single certificate of fitness for multiple special category rules:
Wherever a vessel falls within the jurisdiction of more than one set of Special Category Vessel Rules, a single Certificate of Fitness shall be issued in respect thereof. This certificate shall incorporate the requirements and in accordance with sub-rule (7) of rule 3 of these rules.

(3) Inter-State Operation and powers/responsibilities: -

(a) the home State shall be the sole authority for issuing the certificate of fitness for a special category vessel.

(b) Such vessels holding a valid certificate of fitness issued by the home State shall be permitted to operate in any other State, without requiring a duplicate or separate certification from other State, provided that:

(i) the certificate of fitness issued by the home State is accepted by the State in which the vessel is intended to be operated; and
(ii) prior intimation is given to the intended State of operation, and any conditions imposed by that State are duly complied with.

(c) The Central Government shall facilitate Inter-state data exchange mechanisms for the validation and verification of Certificates of Fitness issued by the home State, shall be through 'Jalyan' and 'Navic', Central database portal, developed under the Act and Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules 2024, enabling seamless operation of special category vessels across States. (4) Inspection by Surveyor: -

(a) A surveyor appointed under the Act, other than for the purpose of a scheduled survey, may at any reasonable time, board a special category vessel for the purpose of inspection. Such inspection may include, but not be limited to, examination of:

(i) the hull;
(ii) equipment;
(iii) machinery; and
(iv) any part or properties of the vessel.

(b) The owner, operator, agent, master, or any person in charge of the vessel shall:

(i) provide all necessary access and facilities to the surveyor for conducting the inspection or survey; and

(ii) furnish such information regarding the vessel, its machinery, equipment, or any part thereof, as the surveyor or any authorized officer may reasonably require.

(5) Enforcement of Compliance and Suspension or Cancellation of Certificate of Fitness: -

(a) A vessel identified as a special category vessel pursuant to these rules shall obtain the certificate of fitness in Form No. 2 appended to these rules within a period of twelve months from the date of commencement of these rules.

(b) If any mechanically propelled inland vessel identified as a special category vessel under these rules is found to be in non-compliance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, the State Government may issue a notice of rectification to the owner, operator, master, or person in charge of the vessel, specifying the nature of non-compliance and the time within which such rectification must be completed.

(c) In the event that the non-compliance continues beyond the time specified in the notice issued under sub-section (1) of section 46 of the Act the State Government may after giving the concerned person an opportunity to be heard and recording reasons in writing suspend or cancel the Certificate of Fitness granted to such vessel under these rules.

(d) A vessel whose certificate of fitness has been suspended or cancelled under sub-section (2) of section 46 of the Act shall:

(i) cease to operate until such suspension is revoked; or

(ii) in the event of cancellation, cease to operate until a new certificate of fitness in Form No. 3 appended to these rules is granted in accordance with the provisions of this Chapter.

(6) Appeal: -

State Government shall appoint an appellate authority for grievance redressal under these rules. An aggrieved applicant may file an appeal against the decision of refusal, suspension or cancellation of fitness certificate to the designated appellate authority of the State Government within 30 days from the date of communication of such order.

5. Obligations of the Owner of vessel. – (1) Safe operation of vessel -

Subject to compliance with safe operating conditions, the owner shall adhere to the operational conditions specified in the certificate of fitness granted by the authorized officer of State Government.

(2) Penalties for Non-Compliance-

(a) The owner of the vessel shall ensure compliances with all relevant provisions of the Act and rules framed thereunder applicable to them in addition to these rules. The following valid documents are mandatory for these vessels for plying in Inland Waters:

(i) Certificate of Registration;

(ii) Certificate of Survey;

(iii) Insurance Policy;

(iv) Certificate of Fitness; and

(v) Certificate of Prevention of Pollution.

(b) The owner shall make available all the above requisite documents at all times and shall produce the same on demand to the officers or authorities appointed by the State Government under relevant provisions of the Act.

(c) Failure to comply with any provision of these rules shall render the owner liable to penalties, fines, or other actions as may be imposed under section 87 of the Inland Vessels Act, 2021.

6. Power to Remove Difficulties. - The Central Government may, by order in the Official Gazette, issue directions to remove any difficulty in implementation of these rules.

Form No. 1

DECLARATION BY OWNER REGARDING DESIGN AND CONSTRUCTION STANDARD FOR THE VESSEL

To

The Surveyor/Designated Authority,

[Insert Name of State/UT Maritime Board or Authorized Entity]...................................,

[Insert Address]....................................

Date (DD/MM/YYYY): ....

Subject: Declaration on Compliance with Design and Construction Standards of the Vessel

I, ..., son/daughter of ....[Father's/Mother's Name], aged ....years, residing at ...., being the owner of the vessel described below, hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. Vessel Details:

ii. Name of Vessel: ....

iii. Type of Vessel [e.g., Passenger, Cargo, Dredger, Survey, etc.]: ....

iv. Hull Identification Number (if available): ....

v. Material of Construction [e.g., Steel, GRP/FRP, Wood, etc.]: ....

vi. Length Over All (LOA): ....meters

vii. Breadth (B): ....meters

viii. Depth (D): ....meters

ix. Draft: ....meters

x. Year of Construction [YYYY]: ....

xi. Place of Construction [Workshop/Shipyard Name and Address]: ....

xii. Builder's Name [If applicable]: ....

2. I hereby declare that the above-mentioned vessel has been designed and constructed in accordance following standards: ....
3. I undertake full responsibility for the accuracy of the information provided and compliance with the statutory design and construction standards. I am aware that any false statement or misrepresentation may lead to penalties, cancellation of registration, or other legal consequences under the Act.
4. I shall ensure that the vessel is maintained in seaworthy condition and will not undergo any structural alterations or modifications without obtaining prior approval from the designated authority.

Place:...................................

Date [DD/MM/YYYY]: ....

Signature of the Owner: ....

Name of the Owner: ....

Mobile Number: ....

Email ID: ....

Address: ....

Form No. 2

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF FITNESS
(Under Section 43(2) of the Inland Vessels Act, 2021)

To:
The Authorised Officer
[Name of Port/State IWT/MB] ....
[Address] ....

1. Vessel and Ownership Details

Particular	Details
Name of the Vessel	________________________________
Registration Number (if any)	________________________________
Name of Owner/Operator	________________________________
Address of Owner/Operator	________________________________
Contact Details	________________________________

2. Vessel Specifications

Particular	Details
Type of Vessel	☐ Passenger ☐ Cargo ☐ Others: __________
Hull Material	☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: _________
Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
	☐Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐
Engine Type	Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: _________
Dimensions (L × B × D)	______ m × ______ m × ______ m
Draft	______ m
Year of Build	______
Engine Details (if applicable)	________________________________
Operational Area	: _______

3. Purpose of Application

☐ Initial Certification

☐ Renewal of Certificate No. __________

4. Special Category Endorsement:

i. .... (e.g. Material Based)
ii. .... (e.g. Fuel Based)
iii. .... (e.g. autonomous/semiautonomous/others)

5. Declaration:

I hereby declare that the details provided above are true and correct to the best of my knowledge, and I shall comply with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021, and the Rules made thereunder. All required safety gear, machinery, and operational conditions are in conformity with applicable standards.

Signature of Owner/Operator: ____________________

Date: ___ / ___ / 20___

Place: ________________

Form No 3

CERTIFICATE OF FITNESS FOR SPECIAL CATEGORY VESSEL
(*Issued under Section 43(2) of the Inland Vessels Act, 2021*)

Certificate No.: ____________________________
Date of Issue: ___ / ___ / 20___
Valid Until: ___ / ___ / 20___
Issuing Authority: __________________________

1. Vessel Identification

Particular	Details
Name of Vessel	....
Registration Number	....
Owner/Operator Name & Address	....
Hull Material	☐ Steel ☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Composite ☐ Others: ....
Propulsion Type	☐ OBM ☐ Inboard Engine
Engine Type	☐ Diesel/Petrol ☐Electric-Battery Powered ☐ CNG/LNG ☐ Hydrogen☐ Methanol ☐ Others: ....
Type of Vessel	....
Operation Area	....

2. Principal Particulars

Particular	Details
Length Overall (LOA)	..................m
Breadth	..................m
Depth	..................m
Draft	..................m
Engine Type & Power	....
Passenger Capacity (if any)	..................persons
Cargo Capacity (if any)	..................MT

3. Safety Compliance & Load Line
The vessel has been surveyed and found compliant with:

- Safety equipment requirements as per categorization
- Buoyancy and floatation adequacy
- Load line markings affixed and verified (☐ Yes ☐ Not Applicable)
- Engine and propulsion systems (where applicable)
- Navigational and structural safety
- Fire and life-saving appliances

4. Conditions of Operation (if any)

☐ Restricted to fair weather/daylight operations

☐ Maximum persons allowed: _______

☐ Max cargo load: _______ MT

☐ Operational area limited to: _________________

☐ Others: ______________________________________

5. Certification:

I hereby certify that the vessel described above has been inspected and is fit for operation as a Special Category Vessel in accordance with the provisions of the Inland Vessels Act, 2021 and the rules made thereunder.

Category	Criteria	Details/Remarks
(i) Material-Based	☐ Wooden ☐ GRP ☐ FRP ☐ Other: ________	
(ii) Fuel-Based	☐ Electric-Battery Powered ☐CNG/LNG ☐Hydrogen ☐ Methanol ☐ Others: ________	
(iii) Technology-Based	☐ Autonomous ☐ Semi-Autonomous ☐ Remote-Operated ☐ Other: ________	

Surveyor's Name: ___________________________

Designation: ______________________________

Signature and Seal: _________________________

Date: ___ / ___ / 20___

Note: This certificate shall be carried on board at all times. Any alteration to the structure, machinery, or configuration without prior survey and approval shall render this certificate invalid.

(P.K. Roy)

Joint Secretary (IWT-II)

[F. No. IWT-II-12011/5/2025-IWT-II]

प्रदीप कुमार रॉय/Pradeep Kumar Roy
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110001

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली दिनांक 14 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.....(अ).— अन्तर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त) नियम, 2025 जिन्हें केंद्र सरकार अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यज) के साथ पठित धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 42 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, का प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना की प्रतियां, राजपत्र में यथा प्रकाशित, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों पर कोई आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, निदेशक (आईडब्ल्यूटी-II), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 545, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या dircoord2-psw@gov.in और naveen.deswal@nic.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को अन्तर्देशीय जलयान (विशेष श्रेणी जलयान: स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24);

(ख) "स्वायत्त जलयान" से अभिप्रेत है यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान जो बिना चालक दल के या काफी कम कर्मियों के साथ प्रचालित होता है और जिसकी दूर से निगरानी और/या नियंत्रण किया जाता है;

(ग) "वर्गीकरण सोसायटी" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के खंड (यण) के अर्थ में कोई मान्यता प्राप्त संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ का सदस्य है;

(घ) "नियंत्रण केंद्र" से अभिप्रेत है कोई निर्दिष्ट तट-आधारित सुविधा जो स्वायत्त या अर्ध-स्वायत्त जलयानों की वास्तविक समय निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है;

(ङ) "अनुकूल मौसम" से अभिप्रेत है पवन और समुद्र की उचित स्थिति को दर्शाने वाली अवधि जो भारत के नौवहन महानिदेशालय या केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए;

(च) "विषम मौसम" से अभिप्रेत है, भारत के नौवहन महानिदेशालय या केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पवन और समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाने वाली अवधि; और

(छ) "अर्ध-स्वायत्त जलयान" से अभिप्रेत है, कोई यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान जिसमें केंद्रीकृत या उन्नत स्वचालित प्रणालियाँ शामिल हैं, लेकिन प्रचालन और पर्यवेक्षण के लिए चालक दल को जलयान पर ही रखा जाता है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उन्हें निर्दिष्ट किए गए हैं।

3. कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग - (1) यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयानों के निम्नलिखित वर्गों को उनके परिकल्पना, संनिर्माण और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के जलयान माना जाएगा:

(क) पूर्णतः स्वायत्त अन्तर्देशीय जलयान जिनकी दूर से निगरानी और/या नियंत्रण किया जाता है;

(ख) केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणालियों और जलयान पर चालक दल के साथ अर्ध-स्वायत्त अन्तर्देशीय जलयान।

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अन्तर्देशीय जलयान नियमों की अपेक्षाएं उप-नियम (1) के अनुसरण में चिह्नित विशेष श्रेणी के जलयनों पर लागू होंगी।

(3) परिकल्पना और संनिर्माण के मानक-

(क) इन जलयानों की परिकल्पना और संनिर्माण के मानक, यथा संशोधित अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 द्वारा शासित होंगे।

(ख) ऐसे जलयानों के स्वचालन संबंधी घटक या अन्य घटक जो उप-नियम 3(क) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार परिकल्पित और संनिर्मित किया जाएगा:

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस); या

(ii) एक वर्गीकरण सोसायटी; या

(iii) अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन

(ग) स्वामी, इन नियमों के प्ररूप संख्या 1 में, परिकल्पना और संनिर्माण के लिए अपनाए गए मानकों के संबंध में एक घोषणा निर्दिष्ट प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या संगठन को प्रस्तुत करेगा जो अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए।

(4) चालक दल-

(क) इन विशेष श्रेणी के जलयानों के लिए चालक दल की अपेक्षाओं का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए जोखिम-आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा:

(i) स्वचालन का स्तर;

(ii) प्रचालन क्षेत्र;

(iii) प्रचालन का प्रकार (कार्गो, यात्री, सर्वेक्षण या अन्य);

(iv) यात्रा की अवधि; और

(v) अतिरिक्त प्रणालियों की उपलब्धता और पर्याप्तता।

(ख) उप-नियम (3) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, अर्ध-स्वायत्त जलयानों में, यथा संशोधित अन्तर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 की धारा 4, उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्धारित कर्मी स्तर के अनुसार कम से कम एक मास्टर, एक इंजन चालक होगा और उसकी एक जीपी रेटिंग होगी।

परंतु यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे जलयानों के लिए मास्टर के अलावा अन्य चालक दल की अपेक्षा को कम कर सकता है:

(i) प्रचालन क्षेत्र के आधार पर; और

(ii) यदि यात्रा अवधि चार घंटे से कम है।

(iii) जलयान सुरक्षा और स्थिरता

(iv) नौचालन और संचार विश्वसनीयता; और

(v) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों का अनुपालन।

(ग) स्वायत्त जलयान, निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार दूरस्थ निगरानी और तट-आधारित सहायता के अध्यधीन, बिना चालक दल के प्रचालित होंगे।

(घ) विशेष श्रेणी के जलयानों का प्रचालन या पर्यवेक्षण करने वाले चालक दल के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन अपेक्षाएं इस प्रकार होंगी:

(i) यथा संशोधित अन्तर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 के अनुसार; और

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अतिरिक्त प्रशिक्षण, अनुभव या कौशल अपेक्षाओं के अध्यधीन।

(ङ) ऐसे मामलों में जहाँ चालक दल जलयान पर मौजूद नहीं है, जलयान और निर्दिष्ट नियंत्रण केंद्र के बीच निरंतर संचार प्रणाली और वास्तविक समय निगरानी अवसंरचना बनाए रखना अनिवार्य होगा।

(5) सर्वेक्षण एवं प्रमाणन-

उप-नियम (1) के अनुसरण में विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिह्नित जलयान की परिकल्पना, संनिर्माण और रखरखाव, यथा संशोधित अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना एवं संनिर्माण) नियम, 2024 के नियम 4 में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक वर्गीकरण सोसायटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाएगा।

(6) विशेष श्रेणी के जलयानों के लिए अनुपालन की सीमा -

(क) इन नियमों के लागू होने से पहले प्रचालित सभी विद्यमान अर्ध-स्वायत्त और स्वायत्त अन्तर्देशीय जलयान, इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करते रहेंगे;

परंतु यह कि जहां ऐसे जलयान में उसकी नौचालन प्रणालियों, प्रणोदन प्रणालियों, नियंत्रण संरचना, या स्वचालित घटकों का कोई बड़ा रूपांतरण, परिवर्तन या प्रतिस्थापन होता है, वहाँ इन नियमों के प्रावधान परिवर्तित प्रणालियों या घटकों पर लागू होंगे।

(ख) उप-नियम (क) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे सभी मौजूदा जलयान इन नियमों के लागू होने की तारीख से दो वर्षों के भीतर निम्नलिखित से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे:

(i) स्थिरता संबंधी जानकारी और फ्रीबोर्ड की गणना; जैसा कि यथा संशोधित अन्तर्देशीय जलयान (परिकल्पना और संनिर्माण) नियम, 2024 के नियम 13 और 15 के अंतर्गत निर्दिष्ट है।

(ii) अतिरिक्तता, संचार और विफल न होने वाला तंत्र।

(ग) प्रत्येक नए अर्ध-स्वायत्त या स्वायत्त अन्तर्देशीय जलयान को:

(i) इन नियमों के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में परिकल्पित, संनिर्मित, सुसज्जित, अनुरक्षित और प्रचालित किया जाएगा; और

(ii) स्वायत्तता के स्तर, प्रचालन क्षेत्र और सेवा के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वांछित सेवा के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नए अर्ध-स्वायत्त या स्वायत्त अन्तर्देशीय जलयान को सर्वेक्षण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा जलयान इन नियमों में निर्दिष्ट लागू परिकल्पना, संनिर्माण, स्वचालन, नौचालन, सुरक्षा और नियंत्रण मानकों का पूर्ण अनुपालन न करता हो।

(7) अन्य विशेष श्रेणी नियमों और विनियामक ढाँचों के साथ सामंजस्य-

क. जहाँ किसी जलयान को इन नियमों के अंतर्गत विशेष श्रेणी जलयान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और वह अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अन्य विशेष श्रेणी नियमों द्वारा भी शासित होता है, तो उसे सभी लागू नियमों का उस सीमा तक अनुपालन करना होगा, जहाँ तक वे असंगत न हों।

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी प्रमुख कार्यकरण, जोखिम रूपरेखा और संनिर्माण के आधार पर जलयान के मुख्य वर्गीकरण का निर्धारण करेंगे; तथापि, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 3 में उपयुक्तता प्रमाणपत्र में अन्य सभी विशेष श्रेणी नियमों और इन जलयानों पर उनके लागू होने की सीमा का उल्लेख होगा।

4. प्रमाणन और सांविधिक अपेक्षाएं - नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिह्नित जलयान को निम्नलिखित अनुपालन सुनिश्चित करना होगा -

(1) सुरक्षा उपाय और लोड लाइन आपेक्षाएं: -

(क) जलयान को इन नियमों में निर्धारित उसके प्रचालन क्षेत्र के अनुसार सुरक्षा गियर और उपकरण प्रदान किए जाएँगे।

(ख) जलयान की अधिकतम वहन क्षमता इन नियमों में निर्धारित मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(i) उत्प्लावकता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा लोड लाइन या लोड लाइन सीमाओं का विनिर्देशन;

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत अन्यत्र उपबंधित शर्तों के अतिरिक्त ऐसे जलयानों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य शर्तें।

(ग) जलयान की अधिकतम वहन क्षमता, उपयुक्तता प्रमाणपत्र में अंकित की जाएगी।

(2) अधिकारियों की नियुक्ति और उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करना: -
राज्य सरकार उतनी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त या प्राधिकृत करेगी जितनी संख्या में अधिनियम के अध्याय VII और इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

(क) प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:

(i) इन जलयानों के उपयुक्तता प्रमाणन हेतु आवेदन प्राप्त करना और उन पर कार्रवाई करना;

(ii) निरीक्षण और सर्वेक्षण करना;

(iii) उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करना, निलंबित करना या रद्द करना; और

(iv) इन नियमों के अंतर्गत इनकार, निलंबन, रद्दीकरण या प्रवर्तन संबंधी की गई अन्य कार्रवाइयों के कारणों को रिकॉर्ड करना और उनका रखरखाव करना।

(ख) किसी भी यंत्रीकृत प्रणोदित अंतर्देशीय जलयान के स्वामी, प्रचालक या मास्टर द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 2 के अनुसार आवेदन किए जाने पर, प्राधिकृत अधिकारी जलयान की वहन क्षमता दर्शाते हुए एक उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करेगा, बशर्ते कि वह संतुष्ट हो जाए कि जलयान:

(i) निर्धारित सुरक्षा, अवसंरचना और स्थिरता मानकों को पूरा करता है;

(ii) अपेक्षित सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है;

(iii) उस पर यथा लागू उपयुक्त लोड लाइन चिह्न अंकित हैं, और

(iv) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है,

(ग) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 3 में उपयुक्तता प्रमाणपत्र, इन नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन जारी किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(i) एक वैध सर्वेक्षण और बीमा प्रमाणपत्र का होना;

(ii) लागू शुल्क का भुगतान;

(iii) नवीनीकरण हेतु प्रक्रियाएँ

(iv) निरीक्षण अपेक्षाएं, जिनमें यथा संशोधित अंतर्देशीय पोत सर्वेक्षण एवं प्रमाणन नियम, 2022 में उल्लिखित के अतिरिक्त वार्षिक या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य कालावधियां शामिल हैं; और

(v) परिचालन प्रतिबंध।

(घ) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 2 में उपयुक्तता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का एक आदर्श प्रारूप और इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप संख्या 3 में उपयुक्तता प्रमाणपत्र राज्य सरकारों के संदर्भ एवं उनके द्वारा अपनाने हेतु संलग्न है ताकि इन नियमों में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) एकाधिक विशेष श्रेणी नियमों के लिए एकल उपयुक्तता प्रमाणपत्र:

जहाँ कहीं कोई जलयान एकाधिक विशेष श्रेणी जलयान नियमों के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहाँ उसके संबंध में एक ही उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र में इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (7) के अनुसार अपेक्षाएं समादिष्ट होंगी।

(3) अंतर-राज्यीय प्रचालन और शक्तियाँ/जिम्मेदारियाँ: -

(क) गृह राज्य, विशेष श्रेणी के जलयान के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी होगा।

(ख) गृह राज्य द्वारा जारी वैध उपयुक्तता प्रमाणपत्र धारक ऐसे जलयानों को किसी अन्य राज्य से डुप्लिकेट या अलग प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना उसमे प्रचालन की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

(i) गृह राज्य द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्र उस राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसमें पोत का परिचालन अभिप्रेत है; और

(ii) प्रचालन के अभिप्रेत राज्य को पूर्व सूचना दी गई हो, और उस राज्य द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का विधिवत अनुपालन किया जाता हो।

(ग) केंद्र सरकार, गृह राज्य द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्रों के विधिमान्यकरण और सत्यापन के लिए अंतर-राज्यीय डाटा विनिमय तंत्र को सुगम बनाएगी, जो इस अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (केंद्रीय डाटाबेस और संबद्ध मामले) नियम 2024 के तहत विकसित केंद्रीय डेटाबेस पोर्टल 'जलयान' और 'नाविक' के माध्यम से होगा, जिससे सभी राज्यों में विशेष श्रेणी के पोतों का निर्बाध प्रचालन संभव हो सकेगा। (4) सर्वेक्षक द्वारा निरीक्षण: -

(क) अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त कोई सर्वेक्षक, निर्धारित सर्वेक्षण के प्रयोजन के अलावा, किसी भी उचित समय पर निरीक्षण के प्रयोजनार्थ किसी विशेष श्रेणी के जलयान पर प्रवेश कर सकता है। ऐसे निरीक्षण में निम्नलिखित की जाँच शामिल हो सकती है, परंतु ये इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(i) पतवार;

(ii) उपकरण;

(iii) मशीनरी; और

(iv) जलयान का कोई भाग या सामग्री।

(ख) स्वामी, प्रचालक, एजेंट, मास्टर या पोत का प्रभारी कोई भी व्यक्ति:

(i) निरीक्षण या सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षक को सभी आवश्यक पहुँच और सुविधाएँ प्रदान करेगा; और

(ii) पोत, उसकी मशीनरी, उपकरण या उसके किसी भाग के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा, जिसकी सर्वेक्षक या किसी भी प्राधिकृत अधिकारी यथोचित रूप से अपेक्षा करे।

(5) अनुपालन का प्रवर्तन और उपयुक्तता प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्दीकरण -

(क) इन नियमों के अनुसरण में, विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिह्नित कोई जलयान, इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप सं. 2 में उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(ख) यदि इन नियमों के अंतर्गत विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में चिह्नित किसी यंत्रीकृत प्रणोदित अन्तर्देशीय जलयान को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार, जलयान के स्वामी, प्रचालक, मास्टर या प्रभारी व्यक्ति को सुधार का नोटिस जारी कर सकती है, जिसमें अनुपालन न करने का स्वरूप और वह समय सीमा निर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा त्रुटि सुधार पूरा किया जाना होगा।

(ग) यदि अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस में निर्दिष्ट समय के बाद भी अनुपालन न किया जाना जारी रहता है, तो राज्य सरकार, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने और लिखित में कारण दर्ज करने के पश्चात, इन नियमों के अंतर्गत ऐसे जलयान को दिए गए उपयुक्तता प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर सकती है।

(घ) कोई जलयान, जिसका इस अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन उपयुक्तता प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वह:

(i) तब तक प्रचालन बंद रखेगा जब तक कि उक्त निलंबन वापस नहीं ले लिया जाता; या

(ii) रद्दीकरण की स्थिति में, तब तक प्रचालन बंद रखेगा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप सं. 3 में नया उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(6) अपील-

राज्य सरकार इन नियमों के अधीन शिकायत निवारण के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करेगी। असंतुष्ट आवेदक, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अस्वीकार करने, निलंबित करने या रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

5. जलयान के स्वामी के दायित्व - (1) जलयान का सुरक्षित प्रचालन-

सुरक्षित प्रचालन शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन, जलयान का स्वामी राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट प्रचालन शर्तों का पालन करेगा।

(2) अनुपालन न करने संबंधी शास्तियां

(क) जलयान का स्वामी इन नियमों के अतिरिक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी संगत उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इन जलयानों के लिए अन्तर्देशीय जलक्षेत्र में प्रचालन हेतु निम्नलिखित वैध दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:

(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(ii) सर्वेक्षण प्रमाणपत्र।

(iii) बीमा पॉलिसी।

(iv) उपयुक्तता प्रमाणपत्र।

(v) प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्र।

(ख) स्वामी को उपरोक्त सभी अपेक्षित दस्तावेज हर समय उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें अधिनियम के संगत उपबंधों के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों या प्राधिकारियों के मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर स्वामी ऐसी शास्ति, जुर्माने का दायी होगा या उसका विरूद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकेगी, जो अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 87 के तहत अधिरोपित की जाए।

6. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-** केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में आदेश द्वारा, इन नियमों के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी।

प्ररूप नं. 1

स्वामी द्वारा जलयान की परिकल्पना और संनिर्माण के मानक संबंधी घोषणा

सेवा में,

सर्वेक्षक/निर्दिष्ट प्राधिकारी,

[राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समुद्री बोर्ड अथवा अधिकृत संस्था का नाम लिखें],.................................

[पता लिखें].......................................

दिनांक: [तिथि/माह/वर्ष]_______________

विषय: जलयान के परिकल्पना और संनिर्माण के मानकों के अनुपालन संबंधी घोषणा

मैं, _______________, पुत्र/पुत्री _____________[पिता/माता का नाम], आयु _____________ वर्ष, निवासी ______________________ नीचे वर्णित जलयान का/की स्वामी होने के नाते, एतद्वारा सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञान करता/करती हूँ:

1. जलयान का विवरण:

ii. जलयान का नाम: ______________________

iii. जलयान का प्रकार [जैसे, यात्री, कार्गो, ड्रेजर, सर्वेक्षण, आदि]: _______________

iv. पतवार पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो): _________________

v. निर्माण सामग्री [जैसे, स्टील, जीआरपी/एफआरपी, लकड़ी, आदि]: ________________

vi. कुल लंबाई (एलओए): ____________ मीटर

vii. चौड़ाई (ख): ____________ मीटर

viii. गहराई (घ): ____________ मीटर

ix. ड्राफ्ट: ____________ मीटर

x. निर्माण वर्ष [वर्ष]: ____________

xi. निर्माण का स्थान [कर्मशाला/शिपयार्ड का नाम और पता]: ____________

xii. निर्माता का नाम, [यदि लागू हो]: ____________

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जलयान का परिकल्पना और संनिर्माण निम्नलिखित मानकों के अनुसार किया गया है: -

....

3. मैं प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और सांविधिक परिकल्पना एवं संनिर्माण मानकों के अनुपालन की पूरी ज़िम्मेदारी लेता/लेती हूँ। मैं इससे अवगत हूँ कि किसी भी गलत बयान या मिथ्या प्रस्तुति दिए जाने से अधिनियम के अंतर्गत शास्ति लगाई जा सकती है, पंजीकरण रद्द किया जा सकता है अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
4. मैं यह सुनिश्चित करूँगा/करूँगी कि जलयान समुद्र में चलने योग्य स्थिति में बना रहे और निर्दिष्ट प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।

स्थान: ______________

दिनांक: [दिन/माह/वर्ष] ______________

स्वामी के हस्ताक्षर: ____________________

स्वामी का नाम: ______________

मोबाइल नंबर: ______________

ईमेल आईडी: ______________

पता: ______________________________

उपयुक्तता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

(अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत)

सेवा में:
प्राधिकृत अधिकारी
[पत्तन/राज्य आईडब्ल्यूटी/एमबी का नाम]..................................
[पता].......................................

1. जलयान और स्वामित्व का विवरण

विवरण	**ब्यौरा**
जलयान का नाम	______________________________
पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो)	______________________________
स्वामी/प्रचालक का नाम	______________________________
स्वामी/प्रचालक का पता	______________________________
संपर्क विवरण	______________________________

2. जलयान विनिर्देशन

विवरण	**ब्यौरा**
जलयान का प्रकार	□ यात्री □ कार्गो □ अन्य: ___________
पतवार सामग्री	□ स्टील □ लकड़ी □ जीआरपी □ एफआरपी □ मिश्रित □ अन्य: __________
प्रणोदन प्रकार	□ ओबीएम □ इनबोर्ड इंजन
इंजन का प्रकार	□ डीजल/पेट्रोल □ विद्युत-बैटरी चालित □ सीएनजी/एलएनजी□हाइड्रोजन□मेथनॉल□अन्य: _____
परिमाप (लंबाई × चौड़ाई × गहराई)	_______ मीटर × _______ मीटर × _______ मीटर
ड्राफ्ट	_______ मीटर
निर्माण वर्ष	_______
इंजन का विवरण (यदि लागू हो)	______________________________
प्रचालन क्षेत्र	: _______

3. आवेदन का प्रयोजन

□ प्रारंभिक प्रमाणन

□ प्रमाणपत्र संख्या __________ का नवीनीकरण

4. विशेष श्रेणी का अनुमोदन:

i. ……………………………… (उदाहरण: सामग्री आधारित)

ii. ……………………………… (उदाहरण: ईंधन आधारित)

iii. ……………………………… (उदाहरण: स्वायत्त/अर्धस्वायत्त/अन्य)

5. घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं, और मैं अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी। सभी आवश्यक सुरक्षा उपस्कर, मशीनरी और प्रचालन की स्थितियाँ लागू मानकों के अनुरूप हैं।

स्वामी/प्रचालक के हस्ताक्षर: ______________________

दिनांक: ___ / ___ / 20___

स्थान: __________________

प्ररूप सं. 3

विशेष श्रेणी के जलयान के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र

(अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 की धारा 43(2) के अंतर्गत जारी)

प्रमाणपत्र संख्या: ____________________________

जारी करने की तिथि: ___ / ___ / 20___

वैधता अवधि: ___ / ___ / 20___

जारीकर्ता प्राधिकारी: __________________________

1. जलयान की पहचान

विवरण	**ब्यौरा**
पोत का नाम	______________________________________
पंजीकरण संख्या	______________________________________
स्वामी/प्रचालक का नाम और पता	______________________________________
पतवार सामग्री	☐ स्टील ☐ लकड़ी ☐ जीआरपी ☐ एफआरपी ☐ मिश्रित ☐ अन्य: _________
प्रणोदन प्रकार	☐ ओबीएम ☐ इनबोर्ड इंजन
इंजन का प्रकार	☐ डीजल/पेट्रोल ☐ विद्युत-बैटरी चालित ☐ सीएनजी/एलएनजी ☐ हाइड्रोजन ☐ मेथनॉल ☐ अन्य: _________
जलयान का प्रकार	______________________________________
प्रचालन क्षेत्र	______________________________________

2. मुख्य विवरण

विवरण	**ब्यौरा**
कुल लंबाई (एलओए	_______ मीटर
चौड़ाई	_______ मीटर
गहराई	_______ मीटर
ड्राफ्ट	_______ मीटर
इंजन का प्रकार और शक्ति	_______
यात्री क्षमता (यदि कोई हो)	________ व्यक्ति
कार्गो क्षमता (यदि कोई हो)	________ मीट्रिक टन

3. सुरक्षा अनुपालन और लोड लाइन

जलयान का सर्वेक्षण किया गया और जलयान को निम्नलिखित का अनुपालन किया गया:

- वर्गीकरण के अनुसार सुरक्षा उपकरण अपेक्षाएँ
- उत्प्लावन और प्लवन की पर्याप्तता
- लोड लाइन चिह्न लगाए गए हैं और उनका सत्यापन किया गया है (☐ जी हाँ ☐ लागू नहीं)
- इंजन और प्रणोदन प्रणालियाँ (जहाँ लागू हो)
- नौचालन और संरचनात्मक सुरक्षा
- अग्नि और जीवन रक्षक उपकरण

4. प्रचालन की शर्तें (यदि कोई हों):

☐ अनुकूल मौसम/दिन के समय प्रचालन तक सीमित

☐ अधिकतम अनुमत व्यक्ति: ________

☐ अधिकतम कार्गो भार: ________ मीट्रिक टन

☐ प्रचालन क्षेत्र: ____________________ तक सीमित

☐ अन्य: ____

5. प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि ऊपर वर्णित जलयान का निरीक्षण किया गया है और यह अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विशेष श्रेणी के जलयान के रूप में प्रचालन के लिए उपयुक्त है।

श्रेणी	मानदंड	विवरण/अभ्युक्ति
(i) सामग्री-आधारित	☐ लकड़ी ☐ जीआरपी ☐ एफआरपी ☐ अन्य: ________	
(ii) ईंधन-आधारित	☐ विद्युत-बैटरी चालित ☐ सीएनजी/एलएनजी ☐ हाइड्रोजन ☐ मेथनॉल ☐ अन्य:	
(iii) प्रौद्योगिकी-आधारित	☐ स्वायत्त ☐ अर्ध-स्वायत्त ☐ दूरस्थ प्रचालित ☐ अन्य: ________	

सर्वेक्षक का नाम: ____________________

पदनाम: ____________________

हस्ताक्षर और मुहर: ____________________

दिनांक: ___ / ___ / 20___

नोट: यह प्रमाण पत्र जलयान पर हर समय रखा जाएगा। पूर्व सर्वेक्षण और अनुमोदन के बिना संरचना, मशीनरी या कन्फिगरेशन में कोई भी परिवर्तन किए जाने से यह प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएगा।

(पी. के. रॉय)
संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)
[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-II-12011/5/2025-आईडब्ल्यूटी-II]

प्रदीप कुमार रॉय/Pradeep Kumar Roy
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi-110001